

43. सुनिता पुत्री स्व. साहबराम पुत्र स्व. सुरजाराम जाति मेघवंशी नि.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया
 44. विमलादेवी पत्नी स्व.साहबराम पुत्र स्व. सुरजाराम जाति मेघवंशी नि.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया
 45. हनुमान पुत्र स्व. सुरजाराम जाति मेघवंशी नि.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया
 46. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्तुं इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीम सिंह छिम्पा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्रीमिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 13 एमजेडी

1. भागाराम पुत्र केसराराम जाति मेघवंशी सा.अमरपुरा जालू के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
132/175	44	15/0.101, 15/2/0.012 गै.मु.खाला, 15/3/0.013 गै.मु.खाला, 16/1/0.228 है. नहरी, 12/2/0.025 गै.मु.खाला, 25/1/0.032 है. नहरी

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/924 दिनांक 24.02.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो उक्तानुसार अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.5.2026 को खुले



(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अदिकारी संगरिया